बिहार सरकार
उद्योग विभाग

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण की सूचना

बिहार सरकार, उद्योग विभाग, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के द्वारा **15 अगस्त, 2024** (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर गाँधी मैदान, पटना में ट्रॉली युक्त ट्रक पर **"वस्त्र उद्योग के विस्तार से बढ़ता रोजगार"** विषय वस्तु पर आधारित झाँकी निर्माण, उसकी मधुबनी पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, मंजूषा कला तथा फूल–माला इत्यादि से सजावट और कलाकारों द्वारा नृत्य, संगीत प्रस्तुति तथा जीवंत प्रदर्शन करने हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से दिनांक **03.08.2024** को **12.00** बजे अपराह्न तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय में कोटेशन प्राप्त की जायेगी, जिसे उसी दिन **3.00** बजे अप0 में सभी कोटेशनदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। इस कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रू0 4,00,000.00 (चार लाख रू0) मात्र है।

कोटेशन की शर्तें:–

1.	सरकारी आयोजन करने का दो वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा)
2.	GST / पैन कार्ड तथा अद्यतन आयकर (वितिये वर्ष 2022–23) का भुगतान प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3.	झाँकी निर्माण हेतु चौदह चक्के वाले ट्रक पर किया जाना है। जिसकी साईज 40 फीट लम्बा एवं 12 फीट चौड़ा होगा।
4.	**"वस्त्र उद्योग के विस्तार से बढ़ता रोजगार"** शीर्षक विषय वस्तु पर निर्मित की जाने वाली झाँकी का डिजाइन **(Tableau)** संलग्न करना होगा। झाँकी में संशोधन करने का अधिकार उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को होगा।
5.	सांस्कृतिक दल में 16 सदस्य रहेंगे। झाँकी मंच के लिए अन्य कलाकारों की व्यवस्था सफल कोटेशनदाता को करना होगा। सजावट पूर्ण रूप से मधुबनी पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, मंजूषा कला तथा फूल–माला से किया जाना है।
6.	किसी भी कोटेशन को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान की क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
7.	विस्तृत / विशेष जानकारी के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना के कार्यालय अथवा दूरभाष सं0–9525336910 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
8.	झाँकी निर्माण, सजावट और नृत्य, संगीत प्रस्तुति, जीवंत प्रदर्शन के साथ अंत में कुल दर (GST सहित) अंकित करना होगा।
9.	प्राकृतिक आपदा की स्थिति या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में संवेदक को उसका पुनर्निमाण करना होगा।
10.	किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा कार्य के उपरांत भुगतान होगा।
11.	प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज न हो।

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

ज्ञापांक 752 / पटना, दिनांक 29/07/2024
प्रतिलिपि– उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना (सूचना पट पर चिपकाने हेतु)।

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

Scanned with AltaScanner